



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 307 राँची, मंगलवार,

8 जुलाई, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

07 जुलाई, 2025

संख्या-9/आरोप-राँची-05/2025- 1732(09)/रा.,-- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा काण्ड सं0-01/25 दिनांक-01.01.2025 धारा-7(a) भ्र0नि0 (संशे0) अधिनियम-2018 में श्री मुंशी राम, अंचल अधिकारी, शहर अंचल राँची को दिनांक-02.01.2025 को हिरासत में लिये जाने के कारण कार्यालय आदेश सं0-26, दिनांक-03.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया ।

2. श्री मुंशी राम द्वारा दिनांक-06.03.2025 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक-07.03.2025 को पूर्वाहन में मुख्यालय में योगदान दिया गया ।

3. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3) के तहत श्री मुंशी राम, अंचल अधिकारी, शहर अंचल राँची (निलंबित) के योगदान को स्वीकृत कर निलंबन मुक्त करते हुए योगदान समर्पित करने की तिथि दिनांक-07.03.2025 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में श्री मुंशी राम का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा निर्धारित किया जाता है ।

5. श्री मुंशी राम के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची थाना कांड सं0-01/2025, दिनांक-01.01.2025 में पारित अंतिम न्यायादेश के फलाफल के आधार पर किया जायेगा ।

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
